

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18921/2015

1. बाबू लाल पुत्र कन्हैया लाल, निवासी लालगंज (उम्मेदपुरा), तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज.)
2. गीता बाई पुत्री कन्हैया लाल, पत्नी घनश्याम, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां, राजस्थान।
3. द्रोपदी बाई पुत्री कन्हैया लाल, पत्नी राधेश्याम मीना, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां, राजस्थान।
4. पुष्पा बाई पुत्री कन्हैया लाल, पत्नी मनसा राम, निवासी राम नगर, तहसील किशनगंज, जिला बारां, राजस्थान।
5. पप्पड़ी पुत्री कन्हैया लाल, पत्नी प्रेम बिहारी, निवासी मजाजी की मुसेन, तहसील अटूरु, जिला बारां (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राम सिंह पुत्र कन्हैया लाल, निवासी लालगंज उम्मेदपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां, राजस्थान।-----वादी-प्रतिवादी
2. राजस्थान राज्य, तहसीलदार, किशनगंज/लोक अभियोजक के माध्यम से

-----प्रतिवादी-प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से : श्री विष्णु कांत शर्मा,

श्री अमित जिंदल की ओर
से
प्रतिवादी(ओं) की ओर से :

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

आदेश

18/04/2024

अवनीश झिंगन, न्यायमूर्ति (मौखिक):

- यह याचिका प्रतिवादी संख्या 1/वादी (संक्षेप में प्रतिवादी) के पक्ष में पारित निर्णय और डिक्री तथा अपीलों के खारिज होने से व्यथित होकर दायर की गई है।
- संक्षेप में तथ्य यह है कि सूची के पक्षकार मीणा समुदाय के भाई-बहन हैं। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से 5 (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा जाएगा) के नाम नामांतरण से हटाने और याचिकाकर्ता क्रमांक 1 तथा प्रतिवादी का नाम आधा-आधा हिस्सा दर्ज करने के लिए वाद दायर किया। साथ ही, प्रतिवादी को प्रतिवादी की भूमि के हिस्से में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। दलील दी गई कि वाद में वर्णित भूमि पैतृक संपत्ति है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'उत्तराधिकार अधिनियम') पक्षकारों पर लागू नहीं होता। पक्षकारों के पिता की मृत्यु दस से बारह वर्ष पहले हो गई थी और भूमि दोनों पुत्रों, याचिकाकर्ता

क्रमांक 1 और प्रतिवादी के नाम दर्ज की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता विवाहित हैं और अपने ससुराल में रहते हैं। पक्षकारों की माता की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ताओं का नाम भी नामांतरण में दर्ज किया गया। लिखित बयान में यह तर्क दिया गया कि पक्षकारों के पिता ने अपने जीवनकाल में ही भूमि का बंटवारा कर लिया था और प्रत्येक पक्ष को 1/6 हिस्सा दिया था।

3. प्रतिवादी ने स्वयं गवाही दी और दो अन्य गवाहों से पूछताछ की, जमाबंदी पेश की गई। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 गवाह के रूप में उपस्थित हुए और जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। वाद का फैसला 31.03.2009 को सुनाया गया। यह माना गया कि:- (i) विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति है; (ii) पक्षकार मीणा समुदाय से हैं और उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और (iii) बेटियों का पैतृक संपत्ति में कोई उत्तराधिकार अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 द्वारा दायर अपीलें 25.11.2009 और 03.08.2015 को खारिज कर दी गईं।

4. याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि ज़मीन का बंटवारा उनके पिता के जीवनकाल में ही हो गया था और मुकदमे में गलत फैसला सुनाया गया। प्रतिवादी की दलील और बयान कि विवाहित बहनों को रीति-रिवाजों के अनुसार शुभ अवसरों और पारिवारिक समारोहों में उपहार दिए जाते थे और उन्होंने संपत्ति में हिस्सा न लेने का आश्वासन दिया

था, प्रतिवादी की इस बात की स्वीकृति है कि बहनों पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार थीं।

5. कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

6. इस बात को चुनौती नहीं दी गई है कि विचाराधीन ज़मीन पैतृक संपत्ति है, पक्षकार मीणा समुदाय से हैं और उत्तराधिकार अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। निर्विवाद तथ्यों के आधार पर दो तर्कों पर विचार किया जाना है।

6. याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 के अनुसार, भूमि का विभाजन उनके पिता के जीवनकाल में ही हो गया था। विवादित आदेशों में दर्ज सुसंगत निष्कर्ष यह है कि विभाजन के तथ्य की पुष्टि नहीं की गई, यही स्थिति इस न्यायालय के समक्ष भी है। एक अन्य पहलू यह है कि उत्तराधिकार अधिनियम के लागू न होने को स्वीकार करने के बाद भी याचिकाकर्ता पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार स्थापित करने में विफल रहे।

7. यह तर्क कि प्रतिवादी ने पैतृक संपत्ति में बहनों के हिस्से के अधिकार को स्वीकार किया है, गलत है। जिन दलीलों और बयानों पर भरोसा किया गया है, वे केवल इस सीमा तक हैं कि पारिवारिक कार्यों में अच्छे व्यवहार के कारण बहनों ने संपत्ति पर दावा न करने का आश्वासन दिया था। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि प्रतिवादी ने बहनों के उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में स्वीकार किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण

है। इस बात की कोई स्वीकृति नहीं थी कि उत्तराधिकार अधिनियम के लागू न होने के बावजूद बहनों का पैतृक संपत्ति में हिस्सा था।

8. रिट में हस्तक्षेप का दायरा अच्छी तरह से स्थापित है। इसमें कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है, और न ही कोई विकृतियाँ हैं, जो दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की माँग करती हों।

9. याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत /07

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी